<u>न्यायालय अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, आमला, जिला बैतूल</u> (पीठासीन अधिकारी – श्रीमती मीना शाह)

<u>व्य.वाद. क्रमांक:- 03ए / 17</u> संस्थापन दिनांक:-22 / 07 / 17 फाईलिंग नं. 35 / 2017

- 1. शांताबाई पति नारायण पारखे, उम्र 62 वर्ष
- 2. राजेंद्र पिता नारायण पारखे. उम्र ४२ वर्ष
- गजेंद्र पिता नारायण पारखे, उम्र 30 वर्ष क. 1 से 3 निवासी सोनेगांव, तहसील आमला जिला बैतूल (म.प्र.)
- 4. इन्दु उर्फ परमिला पिता नारायण पारखे, पित राजू धोटे उम्र 38 वर्ष, निवासी प्रभातपट्टन तहसील मुलताई, जिला बैतूल (म.प्र.)
- अनुसया पिता नारायण पारखे पित कृष्णा पाटनकर उम्र 36 वर्ष, निवासी आमला, तहसील आमला, जिला बैतुल (म.प्र.)
- 6. माधुरी पिता नारायण पारखे, पित धनराज करोले उम्र 34 वर्ष, निवासी पारडसिंगा, तहसील मुलताई, जिला बैतूल (म.प्र.)
- 7. लीला पिता नारायण पारखे, पित दिलीप मगरदे, उम्र 32 वर्ष, निवासी डहुआ, तहसील मुलताई, जिला बैतूल (म.प्र.)

..... वादीगण

वि रू द्ध

उप पंजीयक (जन्म—मृत्यु) एवं सचिव ग्राम पंचायत सोनेगांव, तहसील आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

<u>.....प्रतिवादी</u>

<u> -: (निर्णय) :-</u>

(आज दिनांक 30.11.2017 को घोषित)

- 1 वादीगण द्वारा यह दावा नारायण पिता व्यंकटराव पारखे की सिविल डेथ होने की घोषणा बाबत प्रस्तुत किया गया है।
- 2 दावा संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी क. 01 के पति एवं वादी क. 02 से 07 के पिता श्री नारायण पिता व्यकटराव पारखे ग्राम सोनेगांव

तहसील आमला के स्थायी निवासी थे जो कि 48 वर्ष की आयु तक अपने परिवार के साथ ग्राम सोनेगांव में निवासरत रहे। दिनांक 11.04.1998 को श्री नारायण अचानक लापता हो गये। तब वादी क. 02 राजेंद्र ने उनके गुम होने की सूचना दिनांक 11.04.1998 को थाना बोरदेही में की। जिस पर थाना बोरदेही द्वारा गुम इंसान क. 4/98 पर सूचना दर्ज कर जांच की गयी परंतु इसके बाद भी नारायण पारखे के संबंध में कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी। वादीगण ने उनके लापता होने के संबंध में आसपास के गांव, रिश्तेदार, मित्र परिचितों के यहां पर खोज की परंतू नारायण पारखे का कहीं पता नहीं चला। न ही वादीगण या उनके रिश्तेदारों द्वारा या परिचितों के द्वारा उनको कहीं देखा या सुना गया। दिनांक 12.05.2017 को वादीगण ने ग्राम पंचायत सोनेगांव की अनुशंसा पत्र के साथ प्रतिवादी उप पंजीयक एवं सचिव के कार्यालय में नारायण पारखे के सात वर्ष से अधिक अवधि से लापता होने एवं उनके जीवित होने के बारे में कोई जानकारी प्राप्त न होने के कारण मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने का निवेदन किया परंतु प्रतिवादी ने मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने में असमर्थता व्यक्त की। फलतः वादी के द्वारा यह दावा वास्ते नारायण पिता व्यंकटराव पारखे की सिविल डेथ की घोषणा हेत् समयावधि में वाद कारण न्यायालय के क्षेत्राधिकार में उत्पन्न होने से प्रस्तुत किया गया है।

- 3 प्रकरण में उप पंजीयक जन्म—मृत्यु एवं सचिव ग्राम पंचायत सोनेगांव तहसील आमला जिला बैतूल पर सूचना की तामिल उपरांत अनुपस्थित रहने पर दिनांक 04.09.2017 को एकपक्षीय कार्यवाही की गयी तथा वादी की ओर से जन सामान्य के संबंध में इश्तेहार देने के उपरांत किसी के उपस्थित न होने से न्यायालय द्वारा दिनांक 06.10.2017 को एकपक्षीय कार्यवाही अग्रसर की गयी है।
- 4 प्रकरण के न्यायिक निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न है :--
- 1. क्या नारायण पारखे को पिछले 7 वर्षों से वादीगण ने अथवा उनके रिश्तेदारों व अन्य किसी ने नारायण पारखे के जीवित रहने के बारे में कुछ नहीं सुना है ?
 - 2. सहायता एवं व्यय ?

5

विवेचना एवं सकारण निष्कर्ष

विचारणीय प्रश्न क. 01 का निराकरण

वादी शांताबाई (वा.सा.—1) ने अपने वाद पत्र तथा मुख्य परीक्षण

के शपथ पत्र में यह प्रकट किया है कि दिनांक 11.04.1998 को उसके पित ग्राम सोनेगांव से अचानक लापता हो गये थे। आज दिनांक तक उसके पित को किसी पिरिचित या रिश्तेदार को नजर नहीं आये। उक्त साक्षी ने आगे यह भी प्रकट किया है कि उसके पुत्र राजेंद्र के द्वारा अपने पिता नारायण के गुमशुदा हो जाने की रिपोर्ट दिनांक 11.04.1998 को थाना बोरदेही में की गयी, जिस पर से गुम इंसान क. 4/98 पर दर्ज कर जांच कार्यवाही पुलिस के द्वारा की गयी। वादी के पित एवं वादी क. 02 से 07 के पिता श्री नारायण को लापता हुए लगभग 19 वर्ष से भी अधिक का समय हो चुका है। इतने अधिक वर्षों में किसी भी पिरिचित या रिश्तेदार द्वारा न तो उन्हें देखा गया और न ही किसी के द्वारा कुछ सुना गया।

- वादी शांताबाई (वा.सा.—1) ने अपने मुख्य परीक्षण के शपथ पत्र में यह भी प्रकट किया है कि उसके एवं अन्य वादीगण के द्वारा दिनांक 12.05.2017 को ग्राम पंचायम सोनेगांव के अनुशंसा प्रमाण पत्र के साथ प्रतिवादी उप पंजीयक ग्राम पंचायत सोनेगांव के कार्यालय में मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने हेतु आवेदन दिया गया परंतु उनके द्वारा मृत्यु प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया।
- 7 वादी शांताबाई (वा.सा.—1) के कथनों का समर्थन करते हुए दौलत (वा.सा.—2) ने अपने मुख्य परीक्षण में यह प्रकट किया है कि वह वादीगण को जानता है। श्री नारायण पारखे को भी वह जानता है जो कि ग्राम सोनेगांव के स्थायी निवासी थे और अपनी पत्नी एवं पुत्र—पुत्रियों के साथ निवास करते थे। दिनांक 11.04.1998 को निवास स्थान से अचानक नारायण पारखे लापता हो गये, जिसकी सूचना उनके पुत्र ने थाना बोरदेही में दी परंतु कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो पायी। आसपास के गांव, रिश्तेदार एवं अन्य परिचितों से भी पूछताछ किये जाने पर आज तक नारायण पारखे के बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई और न ही उन्हें देखा गया। श्री नारायण को लापता हुए सात वर्ष से अधिक का समय हो गया है इसलिए उनकी पत्नी शांताबाई के द्वारा मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किये जाने हेतु उप पंजीयक कार्यालय में आवेदन दिया गया था लेकिन वहां से प्रमाण पत्र प्राप्त न हो पाने के कारण शांताबाई ने दावा प्रस्तुत किया है।
- 8 वादी शांताबाई (वा.सा.—1) के द्वारा अपने दावे के समर्थन में दस्तावेज थाना प्रभारी बोरदेही का प्रमाण पत्र दिनांक 17.02.2000 प्रस्तुत किया गया जिसके अवलोकन से यह प्रकट हो रहा है कि दिनांक 11.04.1998 को आवेदक राजेंद्र कुमार के द्वारा नारायण राव के गुम होने की रिपोर्ट लेख करायी गयी थी जो कि थाने में गुम इंसान क. 4/98 पर दर्ज किया गया था तथा ग्राम पंचायत सोनेगांव के सरपंच का प्रमाण पत्र दिनांक 19.04.2000 प्रस्तुत किया जिसके अवलोकन से यह प्रकट हो रहा है कि दिनांक 11.04.1998 से

नारायण पारखे ग्राम सोनेगांव से लापता हैं तथा जनपद सदस्य आमला का प्रमाण पत्र दिनांक 19.04.2000 प्रस्तुत किया है जिसके अवलोकन से भी प्रकट हो रहा है कि नारायणराव पारखे वर्ष 1998 से लापता हैं। साथ ही ग्राम पंचायत सोनेगांव का अनुशंसा प्रमाण पत्र दिनांक 12.05.2017 प्रस्तुत किया है जिसके अवलोकन से यह प्रकट हो रहा है कि नारायण राव दिनांक 11.04.1998 से लापता हैं जिनका दिनांक 12.05.2017 तक कोई भी खबर या उनके जीवित रहने के बारे में कोई जानकारी न होने से उनकी पैतृक संपत्ति में वारसानों का नाम दर्ज किये जाने हेतु अनुशंसा की जाना ग्राम पंचायत के द्वारा की जाना प्रकट होता है।

- 9 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 108 के अनुसार जब प्रश्न यह हो कि कोई मनुष्य जीवित है या मर गया है और यह साबित किया गया है कि उसके बारे में सात वर्ष से उन लोगों ने कुछ नहीं सुना है जिन्होंने उसके बारे में यदि वह जीवित होता तो स्वाभाविक रूप से सुना होता, तब यह प्रमाणित करने का भार कि वह व्यक्ति जीवित है, उस व्यक्ति पर चला जाता है जो इस तथ्य को प्रतिज्ञात करता है। इस संबंध में न्याय दृष्टांत रामरती कौर विरुद्ध ह रारका प्रसाद ए.आई.आर. 1967 एस.सी. 1134 अवलोकनीय है जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि यदि किसी भी व्यक्ति के बारे में सात वर्ष से कुछ नहीं सुना गया है तब विधि की यह उपधारणा निर्मित होगी की उक्त व्यक्ति मर गया है। उपरोक्त न्याय दृष्टांत में प्रतिपादित विधि के प्रकाश में प्रस्तुत प्रकरण में वादी द्वारा जो मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है उससे यह दर्शित होता है कि दिनांक 11.04.1998 से नारायण पिता व्यंकटराव पारखे पैतृक निवास ग्राम सोनेगांव लौटकर नहीं आया तथा उक्त के संबंध में वादी राजेंद्र के द्वारा के द्वारा थाने में गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज करायी गयी थी।
- 10 प्रस्तुत साक्ष्य से यह भी दर्शित होता है कि नारायण पिता व्यंकटराव को दिनांक 11.04.1998 से आज दिनांक तक वादीगण के रिश्तेदार, परिचित व्यक्ति या किसी अन्य द्वारा जीवित रहने के संबंध में कुछ नहीं सुना गया है। साथ ही आम जानता के द्वारा भी कोई आपत्ति सूचना के उपरांत भी पेश नहीं की गयी है।

विचारणीय प्रश्न क. 02 का निराकरण

11 उपरोक्त विवेचना अनुसार प्रस्तुत प्रकरण में वादीगण अपनी मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से उपरोक्त वर्णित विधि के आलोक में यह प्रमाणित करने में सफल रहा है कि नारायण पिता व्यंकटराव को पिछले सात वर्षों से वादीगण ने अथवा नारायण के रिश्तेदारों व अन्य किसी ने नारायण के जीवित रहने के बारे में कुछ नहीं सुना है। फलतः दावा स्वीकार कर निम्नानुसार आज्ञप्ति पारित की जाती है :-

- यह घोषित किया जाता है कि नारायण पिता व्यंकटराव की सिविल डेथ हो गयी है।
- प्रकरण की परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए वादीगण, वाद का व्यय स्वयं वहन करेगे।
- अधिवक्ता शुल्क म.प्र. सिविल कोर्ट नियम एवं आदेश 179 सहपिटत नियम 523 के निर्धारित होता है अथवा जो प्रमाणित हो या न्यून हो खर्चे में जोड़ा जावे।

तद्नुसार आज्ञप्ति तैयार की जाये।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित। तथा दिनांकित कर घोषित ।

(श्रीमती मीना शाह) अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—2, आमला, जिला बैतूल

(श्रीमती मीना शाह) अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, आमला, जिला बैतूल